

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अनिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में भी भरी है। सब दस्तावेजों का ज्ञान भी उन्होंने व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती पर कुल लिपिकीय कुट्टि सुधार की संज्ञा में जारी है। उक्त अनिलेख दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों ने प्रार्थना की है तथा अनिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					दुरीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
घास का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
के.लाल	13	आनन्द सिंह हनुमान सिंह मेधा सिंह हनुमान सिंह शेष बरानुल	876	1.99क	आनन्द सिंह हनुमान सिंह मेधा सिंह हनुमान सिंह शेष बरानुल	बरानुल कालम प्ल 5	

क्रमांक :- 831/10/11/21


प्रतिशपि भावनार्थ :-


- उप तहसीलदार, नौलाखा


क्रमांक :-

प्रतिशपि भावनार्थ :-

- पटवार हल्का..... को भेजकर देखा है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार चालना सुनिश्चित करें।

  
 ज. प्रसाद  
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.डी. नौलाखा)  
 दिनांक 22.11.21, नौलाखा

  
 ज. प्रसाद  
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.डी. नौलाखा)  
 दिनांक :-

  
 ज. प्रसाद  
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.डी. नौलाखा)